

अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए आवेदक हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

1. अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से न्यूनतम 45 दिन पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन दिया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपने पूर्ववृत्त सत्यापन से संबंधित फार्म-1, शपथ-पत्र (विहित प्रपत्र-XI में), मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट से संबंधित सभी अभिलेख संलग्न करेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी यदि कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ हो तो कम्पनी/फर्म/संघ के प्रत्येक निदेशक/भागीदार/बहुसंख्यक शेयरधारक के संदर्भ में पूर्ववृत्त सत्यापन से संबंधित फार्म-1, शपथ-पत्र (विहित प्रपत्र-XI में), मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट की छायाप्रति तथा कम्पनी/फर्म के निबंधन से संबंधित सभी अभिलेख संलग्न करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य का शपथपत्र समर्पित करेगा कि वह किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध घोषित नहीं है।
5. अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य का शपथपत्र समर्पित करेगा कि वह किसी कम्पनी के गठन, संवर्धन एवं संचालन में किए गए कपट या दुराचार के लिए न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध घोषित नहीं है।
6. अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य का शपथपत्र समर्पित करेगा कि वह किसी ऐसे संगठन से संबंधित नहीं है जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है अथवा राष्ट्र की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यों में संलग्न है।
7. अनुज्ञप्तिधारी इस तथ्य का शपथपत्र समर्पित करेगा कि वह नैतिक अधमता या अवचार के आधार पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त, सेवा से बर्खास्त अथवा सेवाच्युत नहीं किया गया है।
8. कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ के द्वारा आवेदन दिए जाने की दशा में कम्पनी/फर्म/संघ के प्रत्येक निदेशक/भागीदार/बहुसंख्यक शेयरधारक द्वारा इस तथ्य का शपथपत्र समर्पित किया जाएगा कि उक्त कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का समूह भारत में पंजीकृत हैं और आधे से अधिक स्वामित्व भारत के नागरिकों के हाथ में है।
9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम और नियमावली के अधीन पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा गार्डों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और धारा-11 द्वारा आच्छादित सभी विषयों के अनुपालन करने का शपथपत्र दिया जाएगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित आवेदन प्रपत्र-V की कंडिका-5 में उल्लिखित कार्यालय, यदि किराये के मकान में स्थित हो, के संदर्भ में कम से कम पाँच वर्षों का लीज अनुबन्ध संलग्न किया जाएगा।
11. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वामित्व में स्थित भवन से कार्यालय संचालित किया जाना हो, तो भवन के व्यवसायिक उपयोग के सम्बंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान नियम में उल्लिखित रीति से किया जाएगा।
13. पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए आवेदक द्वारा चयनित किए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान का बिहार राज्य में अवस्थित होना आवश्यक है।

14. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों को किए जाने वाले भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।
15. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पर्यवेक्षकों और सुरक्षा गार्डों के सन्दर्भ में भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1961 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई कटौती तथा सम्बद्ध निधि में भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अन्य सभी शर्तों के अनुपालन का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।
17. नियोजित पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा गार्डों का विवरण इसके साथ संलग्न प्रपत्र में समर्पित किया जाएगा।

नियोजित सुरक्षा गार्डों का विवरण

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि / उम्र	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पता	स्थायी पता	मोबाइल नम्बर	प्रशिक्षण संस्थान में योगदान की तिथि	प्रशिक्षण संस्थान से वापस जाने की तिथि	व्यक्ति/प्रतिष्ठान जिसकी सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किया गया	संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान का पता	व्यक्तिगत जॉब की तिथियाँ	जॉब करने वाले विकित्सक/अस्पताल का पूर्ण पता
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

अनुज्ञापिका का हस्ताक्षर एवं तिथि

नियोजित पर्यवेक्षकों का विवरण

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि / उम्र	नियुक्ति की तिथि	वर्तमान पता	स्थायी पता	मोबाइल नम्बर	प्रशिक्षण संस्थान में योगदान की तिथि	प्रशिक्षण संस्थान से वापस जाने की तिथि	व्यक्ति / प्रविष्टान जिसकी सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किया गया	संबंधित व्यक्ति / प्रविष्टान का पता	चिकित्सीय जाँच की तिथियाँ	जाँच करने वाले चिकित्सक / अस्पताल का पूर्ण पता
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

अनुज्ञापिका का हस्ताक्षर एवं तिथि